झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांक ______________________ / एम0, राँची, दिनांक

ख0नि0विविध–33 / 2017

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
खान आयुक्त।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

Web Manager please upload in departmental web site 24/10/17

विषयः कार्य विभागों के कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लघु खनिजों की आपूर्ति के संदर्भ में खनन् राजस्व कटौती संबंधी दिशा–निर्देश।

प्रसंगः (1) उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक–1760, दिनांक–26.09.2017.
(2) जिला खनन् पदाधिकारी, गुमला का पत्रांक–1582, दिनांक–14.10.2017.
(3) झारखण्ड राज्य संवेदक संघ का अभ्यावेदन–दिनांक– 18.10.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2017 एवं विभागीय पत्रांक–1592 दिनांक–11.07.2017 द्वारा दिशा निदेश निर्गत है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार उक्त के कम में सरकारी योजनाओं का विपत्र पारित करने में कठिनाई हो रही है, तथा सरकार के विकास कार्य कुप्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 एवं यथा संशोधित 2007, 2014 एवं 2017 के अनुरूप स्थिति निम्न हैः–

कार्य विभाग के संदर्भ में झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 55(1) के तहत कार्य विभाग / संवेदक द्वारा अपने विपत्र के साथ Form O and P में शपथ पत्र एवं आपूर्ति की गई लघु खनिजों का विवरणी दिये जाने एवं सत्यापन हेतु जिला / सहायक खनन् पदाधिकारी को भेजे जाने का प्रावधान है, तथा 55(2) के तहत जिला / सहायक खनन् पदाधिकारी के स्तर पर उक्त प्रपत्रों का जाँच लम्बित रहने तक कार्य विभाग द्वारा स्वामिस्व के दुगुणी राशि रोककर रखे जाने एवं जाँचोपरांत उक्त राशि को विमुक्त किये जाने का प्रावधान है।

नियम 55(3) के अनुसार जिला / सहायक खनन् पदाधिकारी के द्वारा उक्त के जाँच किये जाने के उपरांत उक्त शपथ पत्र एवं व्यवहृत खनिजों का विवरण पूर्ण / आशिंक रूप से असत्य पाये जाने पर नियम–54, जो अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दण्ड से संबंधित है, के अनुसार शपथकर्त्ता के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है।

नियम 55 (1),(2) एवं (3) का अनुपालन में कोई जाँच किये बिना नियम–54(5) के आलोक में खनिज मूल्य की दुगुणी राशि दण्ड स्वरूप वसूली किया जाना नियमानुकूल नहीं है तथा नैर्सिगिंक न्याय के विपरीत है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संबंधित कार्य विभाग / संवेदकों के द्वारा दिये गये शपथ पत्र एवं विवरणी (Form O and P) के जाँच जिला / सहायक खनन् पदाधिकारी / सक्षम पदाधिकारी द्वारा करने के पश्चात् शपथकर्त्ता की संलिप्तता अवैध उत्खनन् / परिवहन में पाये जाने पर ही नियम– 54 के तहत् कार्रवाई किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस मामलों में 55 (1) एवं 55 (2) का

अनुपालन कार्य विभागों/संवेदकों के स्तर से नहीं किया जाता है, उन मामलों में 55 (4) के तहत् दण्ड निर्धारित करने हेतु जिला के उपायुक्त सक्षम है।

अतः उपरोक्त विषयक, सूचनाओं, प्रतिवेदनों तथा ज्ञापनों पर राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया जाता है:–

1. कार्य विभाग को लघु खनिजों के आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य विभाग के अधीन कार्य संपादित होने के पश्चात्, कार्य विभाग/संवेदक के द्वारा उपयोग किये गये लघु खनिजों के संदर्भ में विपत्रों के साथ प्रपत्र–O में एक शपथ पत्र एवं प्रपत्र– P में व्यवहृत लघु खनिज की विवरणी समर्पित किया जाएगा। कार्य विभाग के सम्बन्धित पदाधिकारी इस शपथ पत्र एवं विवरणी सम्बन्धित जिला/सहायक खनन् पदाधिकारी को सत्यापन हेतु भेजेगें। जिला/सहायक खनन् पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र की जाँच लम्बित रहने तक कार्य विभाग स्वामिस्व की दोगुणी राशि के बराबर की राशि रोक रखकर संवेदक के विपत्र को निष्पादित किया जा सकता है। जिला/सहायक खनन् पदाधिकारी के जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त रोके हुए राशि को विमुक्त किया जा सकता है। यदि सत्यापन में शपथ पत्र के पूर्ण/आंशिक रूप से असत्य पाये जाने तथा शपथकर्त्ता का अवैध उत्खनन्/परिवहन में संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित जिला/सहायक खनन् पदाधिकारी के द्वारा शपथकर्त्ता के विरूद्ध नियम– 54 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कारवाई किया जाएगा।
2. जिन मामलों में कार्य विभागों/संवेदकों के द्वारा नियम 55 (1) एवं 55 (2) के अनुपालन में Form O and P समर्पित नहीं किया गया है, वैसे मामलों में 55 (4) के तहत् जिला के उपायुक्त द्वारा कार्रवाई करते हुए विपत्रों का निष्पादन किया जा सकता है।
3. अतएव इस सम्बन्ध में निर्गत विभागीय पत्रांक–1592, दिनांक–11.07.2017 की कंडिका–4 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

उपरोक्त पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)

खान आयुक्त।

ज्ञापांक ____________/एम0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः अपर निदेशक, खान/उप निदेशक, खान/सभी जिला/सहायक, खनन् पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

खान आयुक्त।

ज्ञापांक 2389 /एम0, राँची, दिनांक– 24.10.17

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ प्रेषित।

खान आयुक्त।